संख्या- 10 /2026/I/1228189/2026-68-5002(003)/1/2025

प्रेषक,

सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2026

विषयः **समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक-समग्र शिक्षा/वित्त-बजट/8126/2025-26, दिनांक 21.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) हेतु प्राप्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- '2202-01-113-01-0101-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद से धनराशि रू0 8881.20 लाख केन्द्रांश स्टेट इम्प्लीमेन्टिंग सोसाइटी, सोसाइटी, समग्र शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) को स्वीकृत/अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-71 के लेखाशीर्ष- '2202-01-113-01-0101-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 10167.52 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 30-10-2025 द्वारा निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्ष- '2202-01-113-01-0101-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद में प्राविधानित धनराशि रू0 196017.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की **द्वितीय किश्त** के रूप में धनराशि **रू0 8881.20 लाख (रुपये अट्ठासी करोड़ इक्यासी लाख बीस हज़ार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को उसी कार्य एवं प्रयोजन हेतु व्यय करेंगे जिस कार्य एवं प्रयोजन के लिए धनराशि दी जा रही है।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर-2(14) एवं योजना से संबंधित अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) योजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही-प्रस्तावित धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2025-26 के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-'2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-113-समग्र शिक्षा अभियान-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-वेतनादि से भिन्न मदें (के.60/रा.40-के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -यू0ओ0-E-11-376-X-2025-26, दिनांक 02 फरवरी, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन ।
8- बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।